

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (ji) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 947]

No. 947]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2001/पौष 7, 1923

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2001/PAUSA 7, 1923

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1280(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा सा.का.नि. सं. 750 (अ) तारीख 1-10-2001 द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि का प्रशासन करने के लिए एक समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :

सर्व श्री

1.	विनोद ढल, सचिव, कम्पनी कार्य थिभाग	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अरुणा माखन, अपर सचिव और वित्त सलाहकार, कम्पनी कार्य विभाग	सदस्य
3.	एन. सदासिवन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
4.	आर. एम. जोशी, कार्यपालक निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	सदस्य
5.	एस. बाला सुब्रमणियम, उपाध्यक्ष, कम्पनी विधि बोर्ड	सदस्य
6.	प्रोफेसर जे. एल. गुप्ता, श्री राम कालेज ऑफ कामर्स	सदस्य
7.	पी. एन. विजय, विनिधान विश्लेषक, दिल्ली	सदस्य
8.	श्रीमती सुचिता द लाल, पत्रकार, मु म्बई	सदस्य
9.	कीर्ति सोमैया, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
10.	मनु चड्ढा, चाटर्ड अकाउटेंट, नई दिल्ली	सदस्य
11.	राजेन्द्र चिताले, चाटर्ड अकाउटेंट	सदस्य
12.	अजय शाह, परामर्श दाता, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
13.	राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव, कम्पनी कार्य विभाग	सदस्य

2. सिमति के सदस्य इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगें।

[फा. सं. 5/5/2000-सी. एल-5] राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2001

S.O. 1280(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 205C of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitute a Committee consisting of the following persons to administer the Investor Education and Protection Fund established by the Central Government vide GSR No. 750(E) dated 1.10.2001, namely:—

S/Shri

1.	Vinod Dhall, Secretary, Department of Company Affairs	Chairman
2.	Mrs. Aruna Makhan. Additional Secretary and Financial Adviser, Department of Company Affairs	Member
3.	N. Sadasivan, Executive Director, Reserve Bank of India	Member
4.	R.M. Joshi, Executive Director, The Securities and Exchange Board of India	Member
5.	S. Balasubramaniam, Vice Chairman, Company Law Board	Member
6.	Professor J.L. Gupta, Sri Ram College of Commerce	Member
7.	P.N. Vijay, Investment Analyst, Delhi	Member
8.	Ms. Sucheta Dalal, Journalist, Mumbai	Member
9.	Kirit Somaiya, Member of Parliament, Lok Sabha	Member
10.	Manu Chadha, Chartered Accountant, New Delhi	Member
11.	Rajendra Chitale, Chartered Accountant	Member
I2 .	Ajay Shah, Consultant, Department of Economic Affairs	
13.	Rajiv Mehrishi, Joint Secretary, Department of Company Affairs	Member

2. The Members of the Committee shall hold office for a period of two years with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. 5/5/2000-CL.V]

RAJIV MEHRISHI, Joint Secy.